न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 68/2026 बउनवानी अशोक कुमार मीना बनाम अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर निवासी मांडलगांव तहसील बामनवास

GCMS No-2026/150 **Appeal Number- 321741836239734**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	[illegible]
20.5.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 2.4.2026 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *"पंचायत समिति बामनवास के प्रस्तावति ग्राम पंचायत परिसीमन का नक्शा, तहसील बामनवास का भौगोलिक नक्शा, बामनवास पंचायत समिति के पुनर्गठन की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति"* अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकःएफ.13(03)()सूकाअ/2026/484 दिनांक 28.4.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 2.4.2026 मे चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या 3 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना के लिए अपीलान्ट का आवेदन पत्र संबंधित लोक सूचना अधिकारी को अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत अन्तरित किया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 2.4.2026 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 3 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना के लिए अपीलान्ट का आवेदन पत्र संबंधित लोक सूचना अधिकारी को अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत अन्तरित करते हुए अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner